भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 763

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन

763. श्री मुरसोली एस.:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है तथा इसने अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं;

(ख) आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योजनाओं की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.ए.एम. के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से आज की तिथि तक तमिलनाडु सहित राज्य-वार, योजना-वार और जिला-वार निधि से कितनी राशि आवंटित और संवितरित की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क)**:** राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की मुख्य विशेषताएं **संलग्नक-I** में दी गई हैं। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक एनएएम की प्रमुख उपलब्धियां **संलग्नक-II** में दी गई हैं।

(ख)**:** आयुष मंत्रालय के तहत योजनाओं की सूची **संलग्नक-III** में दी गई है।

(ग)**:** एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समेकित अनुदान जारी किया जा रहा है और अनुदान को जिले-वार जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। एनएएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर आज की तिथि तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवंटित और संवितरित की गई धनराशि का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

*****

राष्ट्रीय आयुष मिशन की मुख्य विशेषताएं

दृष्टिकोण:

(क) सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके संपूर्ण देश में लागत प्रभावी और यथोचित आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवारक और प्रोत्साहक पहलुओं को सुदृढ़ करना।

(ग) आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित एक समग्र कल्याण मॉडल की सेवाएं प्रदान करना।

(घ) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थानों में सुधार करना।

उद्देश्य:

क. आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ और बेहतर बनाकर संपूर्ण देश में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना।

ख. आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से समग्र आरोग्य मॉडल स्थापित करना, जिसमें आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि बीमारी का बोझ और आकस्मिक खर्च को कम किया जा सके।

ग. पीएचसी, सीएचसी और डीएच में आयुष सुविधाओं को के सह-स्थानीकरण के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सुविज्ञ विकल्प प्रदान करना, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा सुविधाएं बहुतायात में उपलब्ध होगी।

घ. एनएचपी 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका पर बल देना।

ङ. आयुष शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना को बढ़ाना और सुदृढ़ करना।

इस मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान किया गया है जिनके लिए एनएएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:-

अनिवार्य घटक:-

(i) आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का संचालन (अब इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है)

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थानीकरण

(iii) मौजूदा स्टैंडअलोन सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण

(v) **10/30/50** बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संबंधी संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य दवाओं की आपूर्ति

(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

(viii) व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी)

(ix) राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहयोग

(x) आयुष ग्राम

(xi) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

(xii) आयुष-स्नातक संस्थाओं का अवसंरचनात्मक विकास और आयुष स्नातकोत्तर संस्थाओं का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को जोड़ना

लचीले घटक:-

उपलब्ध कुल राज्य निधि में से, 25% निधियां लचीले कोष के लिए चिह्नित की जाएगी, जिसे नीचे दी गई किसी भी मदों पर खर्च किया जा सकता है:-

क. योग आरोग्य केंद्र

ख. टेली-मेडिसिन

ग. आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा

घ. परीक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति

ङ. आईईसी गतिविधियाँ

च. शिक्षण संस्था और आयुष अस्पतालों/औषधालयों में कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों, चिकित्सा अधिकारियों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

छ. महामारी/वैश्विक महामारी के प्रकोप सहित प्राकृतिक आपदाओं के शमन और उपचार संबंधी गतिविधियों को पूरा करना। यह कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में भी प्रासंगिक है।

ज. आयुष के फ्रंटलाईन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन- विविध प्रकार की आयुष गतिविधियों को जोड़ा जा रहा है और विभिन्न आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभावी सामुदायिक पहुंच द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिए, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष के फ्रंटलाईन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता आधारित तैनाती का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य स्थानीय मानदंडों के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।

झ. आयुष औषधालयों में, जहां भी पद सृजित किए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक कारणों से रिक्त हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यकता आधार पर योजना अवधि की अधिकतम सीमा तक या पदों के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए 01 आयुष चिकित्सा अधिकारी और 01 फार्मासिस्ट का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ञ. एचएमआईएस और डीबीटी ट्रैकिंग प्रणाली के लिए सहयोग- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के निर्देश के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों को दिए जा रहे लाभों की निगरानी करना अपेक्षित है। इसलिए, इस तंत्र को प्रस्तावित किया गया है तथा विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

ट. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिविधियों और आयुष प्रणाली के लिए प्रायोगिक नवाचार का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ठ. राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (एनएबीएच) द्वारा आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मान्यता प्रदान करना

वित्तपोषण पद्धति: पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) संघ राज्य क्षेत्र हिमालयी राज्यों के लिए वित्तपोषण पद्धति केंद्र: 90% और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: 10% है, जबकि शेष राज्यों के लिए यह अनुपात केंद्र: 60% और राज्य: 40% है। जे एंड के (दिल्ली और पुडुचेरी) को छोड़कर विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में वित्तपोषण अनुपात केंद्र: 60% और संघ राज्य क्षेत्र: 40% है। हालाँकि, बिना विधानमंडल वाले सभी संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लद्दाख) में केंद्र द्वारा 100% निधियां प्रदान की जाती हैं।

संलग्नक-II

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक एनएएम की प्रमुख उपलब्धियाँ

(i) एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए **167** इकाइयों को सहायता दी गई

(ii) अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए **416** आयुष अस्पतालों और **5036** आयुष औषधालयों को सहायता दी गई

(iii) प्रत्येक वर्ष औसतन दवाओं और आकस्मिकताओं की आवर्ती सहायता के लिए सह-स्थानीकरण के तहत **2322** पीएचसी, **715** सीएचसी और **314** डीएच को सहायता दी गई

(iv) प्रत्येक वर्ष औसतन आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए **996** आयुष अस्पतालों और **12405** आयुष औषधालयों को सहायता दी गई

(v) नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 16 इकाइयों को सहायता दी गई

(vi) 83 स्नातक और 36 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को अवसंरचना, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए समर्थन दिया गया है।

(vii) 1055 आयुष ग्रामों को सहयोग दिया गया है।

(viii) 12500 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष) को मंजूरी दी गई है।

संलग्नक-III

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योजनाओं की सूची

1	**केंद्रीय क्षेत्रीय योजना**
(क)	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)
(ख)	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना (आईसी)
(ग)	औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस-सीडीएसएमएमपी)
(घ)	आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्तपादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)
(ङ)	आयुर्स्वास्थ्य योजना
(च)	आयुर्ज्ञान
2	**केंद्रीय प्रायोजित योजना**
(क)	राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)

संलग्नक-IV

वर्ष 2014-15 से आज की तिथि तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी सहायता अनुदान की स्थिति

लाख रुपये में

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**जारी सहायता अनुदान (जीआईए)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	2629.77
2	आंध्र प्रदेश	7578.05
3	अरुणाचल प्रदेश	5018.04
4	असम	13911.37
5	बिहार	8091.86
6	चंडीगढ़	1759.12
7	छत्तीसगढ़	10741.83
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	892.70
9	दिल्ली	726.31
10	गोवा	2324.91
11	गुजरात	13504.05
12	हरियाणा	14105.67
13	हिमाचल प्रदेश	14997.06
14	जम्मू-कश्मीर	21829.78
15	झारखंड	13647.80
16	कर्नाटक	20452.17
17	केरल	24534.46
18	लक्षद्वीप	1721.78
19	मध्य प्रदेश	33012.60
20	महाराष्ट्र	10675.05
21	मणिपुर	8227.99
22	मिजोरम	4833.38
23	मेघालय	5776.16
24	नागालैंड	7898.27
25	ओडिशा	8710.18
26	पुडुचेरी	2367.08
27	पंजाब	5201.82
28	राजस्थान	26782.82
29	सिक्किम	3897.82
30	तमिलनाडु	21206.83
31	तेलंगाना	9789.23
32	त्रिपुरा	4915.42
33	उत्तर प्रदेश	90103.74
34	उत्तराखंड	14964.02
35	पश्चिम बंगाल	16292.30
36	लद्दाख	307.04
	कुल	**453428.45**